न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपालसिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :–149/2020 प्रा० पत्र

1– जम्मू s/o गोपीलाल तेली नि० मियाफकीरान गा० खेड़ा तह० करेड़ा –प्रार्थी।

वनाम

1– लच्छीराम s/o किशना तेली नि० मियाफकीरान गा० खेड़ा तह० करेड़ा–प्रार्थी विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय :: दिनांकः 16/3/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा० भू० राज० अधि01956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मियाफकीरान गा० खेड़ा पटवार हल्का गोरखा ....भू०अ०नि० क्षेत्र गोरखा ....में उनके खाता संख्या 186/115 की आ०नं० 3579/3084 रकबा 2.00 बीघा, 3576/3084 रकबा 2.00 बीघा ....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सवंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21/9/20 को पंजीवद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह वात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मियाफकीरान गा० खेड़ा पटवार हल्का गोरखा ....भू०अ०नि० क्षेत्र गोरखा ....में उनके खाता संख्या 186/115 की आराजी नम्बर 3579/3084 रकबा 2.00 बीघा, 3576/3084 रकबा 2.00 बीघा ....भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू अ०नि० गोरखा को 550/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

सलंग्न :– प्रार्थना पत्र प्रति।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:16:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा